विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	:	उद्योग विभाग
अतारांकित प्रश्न संख्या	:	1960
उत्तर की तिथि	:	05/03/2022
विषय	:	प्रस्तावित प्रोजैक्ट
प्रश्नकर्ता का नाम	:	श्री संजय अवस्थी (अर्की)
सम्बन्धित मंत्री	:	उद्योग मंत्री

प्रश्न	उत्तर
यह सत्य है कि अर्की विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत एन0एम0डी0सी0 द्वारा भूमि माइनिंग लीज़ पर ली गई है, जिस पर प्रोजैक्ट लगना प्रस्तावित है; इस प्रोजैक्ट की अद्यतन स्थिति सहित ब्यौरा दें?	अर्की विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत श्रीयुत नेशनल मिनरल डैवेल्पमैंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एन0एम0डी0सी0), 10–3–311/ए, खनिज भवन कैसल हिलास, मसाब टैंक, हैदराबाद के पक्ष में तादादी रक्वा 232.6 हैक्टर क्षेत्र चूना–पत्थर (स्टील ग्रेड) के दोहन हेतु दिनांक 23.04.1991 को प्रदान किया गया था तथा तदानुरूप खनन पट्टा अनुबन्ध का निष्पादन निगम व विभाग के मध्य दिनांक 07.08.1991 को 20 वर्षों की अवधि के लिए हुआ था। तत्पश्चात्, खान एवं खनिज (विनियम एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 8ए(8) के प्रावधानों के अन्तर्गत खनन पट्टा की अवधि दिनांक 31.03.2020 तक बढाई गई थी । इस खनन पट्टा पर कोई भी प्रोजैक्ट स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं था क्योंकि इस खनन

	पट्टा में उपलब्ध चूना–पत्थर की आपूर्ति स्टील इकाईयों के लिए की जानी प्रस्तावित थी। हालांकि अब निगम के उप– महाप्रबन्धक (भू–विज्ञान) ने पत्र दिनांक 12.08.2021 द्वारा सूचित किया है कि श्रीयुत एन0एम0डी0सी0 के बोर्ड ने दिनांक 17.06.2021 को आयोजित अपनी 537वीं बैठक में अर्की चूना–पत्थर परियोजना को बन्द करने और खनन पट्टे को राज्य सरकार को सौंपने का निर्णय लिया है अतः खनन पट्टा अभ्यपर्ण (surrender) के लिये निगम से इसकी पूर्व नियोजित औपचारिकताएं पूर्ण करवाई जा रही है ।